प्रेस विज्ञप्ति

16 अक्टूबर, 2015

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज प्रेस को जारी किया गया बयान :–

''भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 'न्यायिक नियुक्ति आयोग' (एनजेएसी) के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले का सम्मान करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र का मौलिक आधार है। इस विषय में कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। एनजेएसी फैसला स्पष्ट रूप से मौजूदा सरकार पर विश्वास की कमी प्रदर्शित करता है, जिसने पिछले 17 महीनों के दौरान संस्थाओं की स्वायत्तता और संवैधानिक संरक्षण को सिरे से खारिज किया है।

यह भी सत्य है कि वर्तमान कॉलिजियम व्यवस्था रहस्य और गोपनीयता के परदों के पीछे है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के निर्णय ऑब्जेक्टिव मापदंड पर होने चाहिए, न कि सब्जेक्टिव मापदंड पर। कॉलिजियम व्यवस्था की पारदर्शिता, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व प्रश्नों के घेरे में रहा है। यहां तक कि उच्च न्यायपालिका में भ्रष्टाचार या पक्षपात की शिकायतों को सुनने या जांच करने के लिए कोई संस्थागत प्रक्रिया है ही नहीं।

हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने स्वयं इन कमियों को पहचाना और नवंबर 2015 के पहले सप्ताह में कॉलिजियम व्यवस्था की पारदर्शिता, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के विषय में तर्कों को सुनने का निर्देश दिया।

एनजेएसी को निरस्त करना न्यायपालिका और संसद के बीच विरोध का सूचक नहीं है। पीछे मुड़कर देखने की बजाए हमें इस समस्या को सुलझाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सरकार के अंदर या बाहर कोई व्यक्ति या ताकत किसी भी स्थिति में संसद और न्यायपालिका के बीच कटुता या विरोध का स्रोत नहीं बनना चाहिए।

प्रश्न यह नहीं है कि जजों की नियुक्ति कौन करेगा, बल्कि प्रश्न यह है कि जजों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी? क्या उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति व्यवस्था पारदर्शी, जिम्मेदार और उत्तरदायी हो सकती है, ताकि यह न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता बनाए रखते हुए स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में मदद करे?

67 सालों में हमारे संविधान में कई समस्याओं जैसे संपत्ति का अधिकार और रजवाड़ों के अधिकारों को समाप्त करना, दलितों और पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाना आदि पर स्वस्थ चर्चाएं हुई हैं। हर बार भारतीय लोकतंत्र की शक्ति के कारण निर्णय भारत की जनता के हित में किए गए। सभी दलों को न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने और जजों की नियुक्ति की ऐसी व्यवस्था निर्मित करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो पूरी तरह से पारदर्शी हो, पूरी तरह से जिम्मेदार हो और उत्तरदायी भी हो।''

रणदीप सिंह सुरजेवाला